संख्या- 17/2018/84बीपी/35-1-2018

प्रेषक,

जसजीत कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 जून, 2018

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या- 44बीपी/35-1-2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष कृषि विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 परियोजना की रू. 87.91 करोड़ पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 8.61 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 0.62 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 199 बीपी/ 35-1-2014 दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु रू. 11.47 करोड़ तथा शासनादेश संख्या 4/2014/318 बीपी/ 35-1-2014 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 द्वारा रू. 15.33 करोड़ अर्थात वर्ष 2014-15 में कुल मिलाकर रू. 26.80 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 26.30 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या 13/2016/107बीपी/ 35-1-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं में से चेकडैम के अपूर्ण कार्यों हेतु रू. 18.19 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 18.18 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या 21/2017/77बीपी/ 35-1-2017 दिनांक 29 अगस्त, 2017 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं के अपूर्ण कार्यों हेतु रू. 42.81 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 33.11 करोड की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई।इस प्रकार वर्ष 2017-18 तक प्रश्नगत परियोजनाओं में कुल मिलाकर रू. 78.21 करोड़ की धनराशि व्यय हुई है और अनुमोदित ए.सी.ए. लागत के सापेक्ष रू. 9.70 करोड़ अवशेष है। एतद्द्वारा परियोजनाओं की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि को समायोजित करते हुए परियोजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु रू. 9.70 करोड़ (नौ करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि करोड़ रू. में)

	परियोजना	अनुमोदित लागत				वर्ष 2017-18 तक व्यय ए.सी.ए. की धनराशि	अवमुक्त धनराशि
		कुल	कुल में				
			ए.सी.ए. अंश	राज्यांश	लाभार्थी अंश		
1	चेक डैमों का निर्माण	44.10	44.10	0.00	0.00	44.10	0.00
2	स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली	87.62	43.81	23.86	19.95	34.11	9.70
	योग	131.72	87.91	23.86	19.95	78.21	9.70

1. सन्दर्भित अन्य शासनादेशों की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. इस शासनादेश से उक्त कार्यों हेतु अनुमोदित ए.सी.ए. लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
3. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वितीय वर्ष 2018-19 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अंतर्गत सुसंगत मदो के नामे डाला जायेगा।उक्त लेखाशीर्ष में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या 40 के लेखाशीर्ष 2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-42-अन्य व्यय की मद में उपलब्ध बचतों से आदेश यूओ संख्या 06 बीके/35-1-2018 दिनांक 04 जून, 2018 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
विशेष सचिव

संख्या- 17/2018/84 बीपी (1)/35-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3 प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5 निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6 मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7 जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8 मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9 कोषाधिकारी, झांसी /ललितपुर/ जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
10 वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-5
11 जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
12 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जसजीत कौर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 17/2018/84बीपी(1)/ 35-1-2018 दिनांक 05 जून, 2018 का संलग्नक

	मद	अवमुक्त धनराशि (करोड़ रू में)	लेखाशीर्ष
1	चेक डैमों का निर्माण	0.00	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र- 800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-83-चेकडैमों का निर्माण -24-वृहद् निर्माण कार्य
2	स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली	9.70	2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र- 800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-16-स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का वितरण -27-सब्सिडी
		9.70 (रूपये नौ करोड़ सत्तर लाख मात्र)	

(जसजीत कौर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।